रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 244] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 1996/श्रावण 14, 1918
No. 244] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 1996/SRAVANA 14, 1918

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 1996

सं. 21/96-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन टी)

सा.का.नि. 350 (अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऐसी प्रथा के अनुसार, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण की बाबत (जिसके अन्तर्गत उसका उद्ग्रहण न किया जाना भी है) साधारणतया प्रचलित थी, आधार धातुओं से पटलित या विलेपित और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) की अनुसूची के शीर्ष सं. 7217.90 के अन्तर्गत आने वाले लौह या अमिश्रातु इस्पात के तार पर 14 मई, 1992 को प्रारंभ होने वाली और 25 जून, 1992 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रति टन 1000 रुपए से अधिक उद्ग्रहित नहीं किया गया था ;

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा II-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त प्रथा के न होने पर, लौह या अमिश्रातु इस्पात के ऐसे तार पर प्रतिटन 1000 रुपए से अधिक उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क, लौह या अमिश्रातु इस्पात के ऐसे तार की बाबत संदाय किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिस पर प्रतिटन 1000 रुपए से अधिक का उत्पाद शुल्क उक्त प्रथा के अनुसार पूर्वोक्त अवधि के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया गया था ।

[फा सं. 139/2/93-सी एक्स. 4]
संघमित्रा पंडा, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 1996

No. 21/96-CENTRAL EXCISE (NT)

G.S.R. 350 (E).—Whereas the Central Government is satisfied that according to a practice that was generally prevalent regarding levy of duty of excise (including non-levy thereof) under Section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944),

the duty of excise on wire of iron or non-alloy steel, plated or coated with base metals and falling under heading No. 7217.90 of the Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) was not being levied in excess of Rs. 1000/- per tonne under section 3 of the said Act during the period commencing on the 14th May, 1992 and ending with the 25th June, 1992.

2. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 11-C of the said Act, the Central Government hereby directs that the duty of excise leviable in excess of Rs. 1000/- per tonne on such wire of iron or non-alloy steel, but for the said practice, shall not be required to be paid in respect of such wire of iron or non-alloy steel, on which the duty of excise as is in excess of Rs. 1000/- per tonne was not levied during the period aforesaid, in accordance with the said practice.

[F. No. 139/2/93-CX.4]
SANGHAMITRA PANDA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996